(ग) वित्तीय वर्ष 1995–96 में चीनी के नए कारखाने खोलने तथा पुराने कारखानों का आधुनिकीकरण करने के संबंध में सरकार की क्या योजना है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार देश के किसी भी भाग में चीनी मिलें स्थापित नहीं करती हैं। तथापि, वह नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए लाइसेंसिंग नीति संबंधी वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करती है। 1993–94 चीनी वर्ष के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए 74 आशय पत्र जारी किए गए हैं जिनमें से 25 उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं।

(ग) नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए आशय पत्र दिनांक 8–11 91 के प्रैस नोट सं. 16 के तहत भारत सरकार द्वारा घोषित लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार मंजूर किए जाते हैं।

चीनी मिलों को आधुनिकीकरण तथा पुनः स्थापन के लिए चीनी विकास निधि से ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। कोई भी चीनी उपक्रम जो अपने प्लांट तथा मशीनरी के आधुनिकीकरण/पुनः स्थापन के लिए आधुनिकीकरण तथा पुनः स्थापना की संगत योजनाओं के तहत सहायता के लिए किसी वित्तीय संस्थान द्वारा अनुमोदित हो, वह सामान्यतः चीनी विकास निधि से ऋण का पात्र होता है। 1995–96 के दौरान मंजूर की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा निर्धारित शर्तों को उनके द्वारा पूरा करने पर निर्भर करेगी।

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी का वितरण

7659. श्री अजीत जोगी :
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत देश के विभिन्न राज्यों को चीनी की प्रति यूनिट कितनी मात्रा आबंटित की जा रही है और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश को आबंटित कोटे की मात्रा अन्य राज्यों की तुलना में कम है ; और

(ग) यदि हां, तो इसे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के अंतर्गत अधिकतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी के मासिक आबंटन एकरूप मानकों के आधार पर किए जा रहे हैं जिससे 1–10–1986 को प्रक्षिप्त जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति मासिक उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। यह मानदंड 1–2–1987 से लागू है। तथापि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वहां पर स्थित विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अधिक पैमाने पर आबंटन अनुमत किए जा रहे हैं। तदनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण के लिए प्रत्येक माह लगभग 3.35 लाख टन चीनी आबंटित की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त सरकार लगभग एक लाख टन चीनी प्रति वर्ष त्यौहार कोटे के रूप में रिलीज करती है जो कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके मासिक लेवी आबंटनों के अनुपात में आबंटित की जाती है।

उपर्युक्त के आधार पर मध्य प्रदेश के लिए लेवी चीनी का आबंटन निम्न प्रकार से है :

(i) मासिक कोटा– 25031 मी० टन

(ii) वार्षिक त्यौहार कोटा–7536 मी०टन

लेवी चीनी का मासिक कोटा तथा वार्षिक त्यौहार कोटे का राज्यवार दर्शाने वाला विवरण दिया गया है (नीचे देखिए)

(ग) लेवी चीनी के आबंटन में बढ़ोतरी वर्तमान चीनी मौसम तथा उसके पश्चात प्राप्त किए जाने वाले चीनी उत्पादन के स्तर पर निर्भर करेगा।

विवरण

मासिक लेवी चीनी कोटा तथा वार्षिक त्यौहार कोटा (राज्यवार)

(आंकड़े टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मासिक सामान्य कोटा	प्रत्येक वर्ष के लिए त्यौहार कोटा
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	25281	7614
2.	अंडमान निकोबार	247	74
3.	अरुणाचल प्रदेश	314	94
4.	असम	9617	2896
5.	बिहार	33459	10078
6.	चण्डीगढ़	372	112
7.	दादरा और नगर हवेली	51	14
8.	दिल्ली	8721*+1200-9921**	2316
9.	गोवा	500	150
10.	दमन	24	12
11.	दीव	15	
12.	गुजरात	16194	4878
13.	हरियाणा	6386	1924
14.	हिमाचल प्रदेश	2019	608
15.	जम्मू और काश्मीर	3136@	868
16.	कर्नाटक	17769	5350
17.	केरल	11953	3600
18.	लक्षद्वीप	71	22
19.	मध्य प्रदेश	25031	7536

1	2	3	4
20.	महाराष्ट्र	29938	9014
21.	मणिपुर	694	208
22.	मेघालय	662	200
23.	मिजोरम	261	78
24.	नागालैण्ड	426	128
25.	उड़ीसा	12393	3730
26.	पांडिचेरी	305*	64
27.	कारोकल	73	18
28.	माहे	15	4
29.	यनम	7	2
30.	पंजाब	7945	2392
31.	राजस्थान	16914	5092
32.	सिक्किम	165	50
33.	तमिलनाडु	22547	6790
34.	त्रिपुरा	1001	302
35.	उत्तर प्रदेश	52926	15936
36.	प0 बंगाल	25888	7796
	कुल :	334520	99950

*मई, 1990 के बाद से दिल्ली के कोटे में 1032 टन तथा पांडिचेरी के कोटे में 108 टन बढ़ोतरी शामिल है ।

**जुलाई, 1993 में 1200 टन की बढ़ोतरी शामिल है ।

@फरवरी, 1994 से 252 टन की बढ़ोतरी शामिल है ।